सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के भाग 4(1)(ब) के अनुसार सामग्री

खंड वाक्य 4(1)(ब)

खंड वाक्य 4(1)(ब)(i)

प्रमुख गतिविधियाँ:-

विभाग की मुख्य गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:-

- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा प्रकाशित सरकारी प्रकाशनों तथा पत्रिकाओं का भण्डारण, बिक्री तथा वितरण
- भारत के राजपत्र का प्रकाशन
- विभिन्न विभागों / मंत्रालयों द्वारा दिए गए प्रकाशनों / पत्रिकाओं को प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सूचीबद्ध करना
- विभिन्न पत्रिकाओं जैसे इंडियन ट्रेड जर्नल तथा भारत का राजपत्र भाग 4 में विज्ञापनों की प्रविष्टि सुरक्षित करना
- आर्मी प्रकाशनों का संग्रहण करना तथा उनका रक्षा ईकाइयों में वितरण करना
- निजी / सरकारी ऐजेन्सियों तथा विभाग के बिक्री पटलों / बुक डिपो को प्रकाशनों की आपूर्ति करना तथा खातों का रखरखाव करना
- समय पर बिल बनाना तथा उनकी वसूली करना
- बिक्री प्रचार संबंधी कार्यवाही के लिए पुस्तक मेलों / प्रदर्शनियों में भाग लेना

उपलब्धियाँ

(i) विभिन्न पत्रिकाओं तथा राजपत्र अधिसूचनाओं को छोड़कर दिनांक 31-12-2013 तक कुल 24000 शीर्षक संचालित किए गए ।

(ii) दिनांक 31-12-2013 तक कुल 17 पत्रिकाएं संचालित की गई जिनके ग्राहकों की सदस्यता 646 थी तथा भारत के राजपत्र - सभी भाग के ग्राहकों की सदस्यता 174 थी ।

(iii) दिनांक 01-4-2012 से 31-12-2013 तक प्रकाशनों की बिक्री से कुल रू. 79.60 लाख की राशि प्राप्त हुई । दिनांक 01-01-2014 से 31-3-2014 तक प्रकाशनों की बिक्री से 50.00 लाख तक की राशि प्राप्त होने की उम्मीद है ।

(iv) प्रकाशन विभाग में दिनांक 01-4-2013 से 31-12-13 तक की अवधि के दौरान सरकारी प्रकाशनों में प्रविष्टि के लिए 12.37 करोड की राशि के विज्ञापन सुनिश्चित किए गए है । दिनांक 01-01-2014 से 31-3-2014 तक सरकारी प्रकाशनों में प्रविष्टि के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों से रू. 04.00/- करोड के लगभग राशि प्राप्त होने की उम्मीद है

(v) दिनांक 01-4-2013 से 31-12-13 तक बकाया राशि की वसूली **रू. 09.67/- करोड** थी तथा 01-01-2014 से 31-3-2014 तक लगभग **रू 04.00/- करोड** की राशि की बकाया राशि की वसूली की उम्मीद है ।

(vi) 01-4-2013 से 31-12-2013 तक विमाचित किए गए प्रकाशनों की सं. 103 थी तथा 01-4-2014 से 31-3-2014 तक कुल 33 प्रकाशनों का विमोचन किए जाने की उम्मीद है । 01-4-2013 से 31-12-2013 तक कुल 106 प्रकाशनों के प्रतीक चिन्ह जारी किए गए थे तथा 01-01-2014 से 31-3-2014 तक लगभग 35 प्रकाशनों के प्रतीक चिन्ह जारी किए जाने की संभावना है ।

(vii) विभाग ने 01-4-2013 से 31-12-2014 तक निम्न पुस्तक मेलों में भाग लिया ।

खंड 4 (1)(ब)(ii) इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य

(1) प्रकाशन विभाग की नियमावली में विविध कार्यकर्ताओं के अधिकार तथा कर्त्तव्य विशिष्टिकर्त किए गए हैं । प्रकाशन विभाग के अधिकारियों को दिए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-I में दिये गये विवरण के अनुसार है ।

व्यवस्था चार्ट (अनुलग्नक-II) प्रकाशन विभाग में मिसिलों के प्रस्तुतीकरण को माध्यम प्रदान करता है तथा वे विभिन्न प्रकृति के मामलों का निर्णय अपने स्तर पर लेते है ।

खंड 4 (1)(ब)(iii) निर्णय प्रक्रिया में पालन की गई कार्यविधि जिसमें पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही का माध्यम सम्मिलित है:-

प्रकाशन विभाग में विभिन्न विषयों पर निर्णय नोडल मंत्रालयों तथा कार्मिक विभाग, वित्त, रक्षा तथा कानून मंत्रालय तथा हमारे प्रमुख शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही लिए जाते हैं।

खंड 4 (1)(ब)(iv) इसके द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए बनाए गए प्रतिमानक:

(1) भारत के राजपत्र (मुद्रण तथा वितरण के लिए अनुदेश) के अनुसार विभिन्न राजपत्रों का अनुलग्नक-I के अनुसार बिक्री, भण्डारण तथा वितरण करना । ।(विभाग में उपलब्ध)

(2) पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर सार्वजनिक शिकायतों के मामलों का निपटान 30 दिनों के भीतर करना ।

(3) अन्य मामलों जैसे कि बजट, संसदीय मामले, न्यायिक मामले, आदि के बारे में नोडल प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शडयूल का अनुपालन किया जाता है ।

(4) भारत के राजपत्र में पूर्ण दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पत्रों के नाम परिवर्तन, धर्म परिवर्तन इत्यादि को 45 दिनों के भीतर प्रकाशित कराना ।

खंड 4 (1)(ब)(v) इसके द्वारा अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग कि गए नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली तथा अभिलेख :-

कर्मचारियों द्वारा कार्यो के निर्वहन के लिए नोडल मंत्रालयों/विभागों के द्वारा बनाए गए नियमों तथा विनियमों का पालन किया जाता है ।

प्रकाशन विभाग में कार्यों के निवर्तन तथा कार्यों के निर्वहन में विभिन्न नोडल प्राधियकारियों जैसे कि शहरी विकास मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कानून मंत्रालय तथा परिवार एवं कल्याण मंत्रालय इत्यादि द्वारा बनाये गए नियमों/विनियमों के अनुसार नियंत्रण होता है ।

प्रकाशन विभाग में कार्यों को सरल बनानेमें निम्नलिखित प्रकाशनों का भी संदर्भ दिया जाता है :-

(i) प्रकाशन विभाग की नियमावली (अनुलग्नक-II) (विभाग में उपलब्ध)
(ii) भारत सरकार की प्रकाशन शाखा के कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए सामान्य नियम तथा विभागीय अनुदेश (अनुलग्नक-III) (विभाग में उपलब्ध)
(iii) वर्ग 'ग' तथा 'घ' के भर्ती नियम (अनुलग्नक-IV) (विभाग में उपलब्ध)

खंड 4 (1)(ब)(vi) दस्तावेजों के वर्गीकरण का वक्तव्य जो कि इसके द्वारा रखें जाते है अथवा इसके नियंत्रणाधीन है :

(i) प्रकाशन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की मिसिलें, वैयक्तिक सेवा पंजिकाएँ तथा गोपनीय रिपोर्टें
(ii) वसूली मिसिलें/अभिलेख/बंधपत्र/अनुबंध/प्रतिभूति जमा सुरक्षा
(iii) विभिन्न मुद्रणालयों में मुद्रित मुद्रण सामग्री का रिकार्ड
(iv) वेतन बिल पंजिकाएँ
(v) प्रकाशन विभाग के विविध अभिलेख
(vi) विभिन्न वर्गों में अनुकम्पा के आधार पर भर्ती के सुपात्र मामलों की सूची
(vii) अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची

खंड 4 (1)(ब)(vii) निजी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श हेतु अथवा जनता के प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा इसकी नीति बनाने अथवा उसके क्रियान्वयन करने के लिए हो ।

अभिकर्ताओं के साथ निरन्तर परस्पर संवाद तथा पुस्तकों की बिक्री के संदर्भ में परामर्श तथा नीति में परिवर्तन के लिए कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है ।

खंड 4 (1)(ब)(viii) मंडलों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायो का विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति इसके सदस्य के रूप में या सलाह के उद्देश्य से संगठित हो तथा क्या इन मंडलों, परिषदों, समिति तथा अन्य निकायों की बैठक आम जनता के लिए खुली है अथवा प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त आम जनता की पहुँच में है का विवरण ।

यह समिति राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में प्रकाशन नियंत्रक द्वारा जब भी अपेक्षित हो बनाई जाती है ।

क्रेता समिति का विवरण

- वित्तीय अधिकारी — अध्यक्ष
- सहायक नियंत्रक (प्रशासन) — सदस्य
- पर्यवेक्षण अधिकारी (स्थापना) — सदस्य

क्रेता समिति का प्रयोजन है कि वह दर सूचियों/निविदाओं के माध्यम से खरीद के प्रस्ताव की जाँच करें तथा यह निर्णय लें कि न्यूनतम निविदा/दर सूची के आधार पर आपूर्ति आदेश किसे आवंटित किया जाना है ।

खंड 4 (1)(ब)(ix) विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निदेशिका

जैसा कि संलग्नक-III में दर्शाया गया है ।

खंड 4 (1)(ब)(x) इसके प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रतिकरण पद्धति के अन्तर्गत जैसाकि विनियमों में प्रविहित है , प्राप्त मासिक परिश्रमिक :

जैसा कि संलग्नक-IV में दर्शाया गया है ।

खंड 4 (1)(ब)(xi) इसकी प्रत्येक ऐजेन्सी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों तथा किए गए संवितरण की रिपोर्टो की सूचना दी गई है :

जैसा कि संलग्नक-V में दर्शाया गया है ।

खंड 4 (1)(ब)(xii) आवंटित की गई राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों में लाभार्थियों के विवरण सहित सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका :

लागू नहीं

खंड 4 (1)(ब)(xiii) इसके द्वारा आदाताओं को प्रदान किए गए रियायतों अनुज्ञापत्रों अथवा प्राधिकृतों के ब्यौरे:

इस विभाग के प्रतिबंधित ऐजेन्टों को पुस्तकों की बिक्री पर 20% छूट देय हैं । नियमित ऐजेन्ट को 25% छूट दी जाती है । सरकारी पार्टियों का 15% छूट दी जाती है । पुस्तक मेले में 10% की छूट दी जाती है ।

खंड 4 (1)(ब)(xiv) इसके द्वारा प्राप्य अथवा रखी गई सूचनाओं के संदर्भ में विवरण :

प्रकाशन विभाग के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट **www.deptpub.gov.in** पर उपलब्ध है ।

खंड 4 (1)(ब)(xv) यदि लोगों के प्रयोग के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए लाईब्रेरी अथवा वाचनालय (रीडिंग रूप) बनाए गए है तो नागरिकों को प्राप्त ऐसी सुविधाओं का विवरण :

1. भारत के राजपत्र अधिसूचनाएँ वर्ष 1950 से अब तक इस विभाग की वेबसाइट **www.egazatte.nic.in** पर उपलब्ध है तथा कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट से इन अधिसूचनाओं को डाउनलोड कर सकता है ।
2. प्रर्दशनी हाल में कार्यालय समय में सरकारी प्रकाशनों/पत्रिकाओं की प्रतियाँ नमूने के तौर पर रखी गई है ।
3. इस विभाग के स्वागत कक्ष में आगन्तुकों के लिए बैठने का प्रबन्ध किया गया है ।

खंड 4 (1)(ब)(xvi) जनसूचना अधिकारी का नाम पदनाम तथा अन्य ब्यौरे :

श्री एस० एस० दलाल, वित्तीय अधिकारी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी दूरभाष सं० 011-23813762
श्री दिनेश चन्द्र, सहा० नियंत्रक (प्रशा०), केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी दूरभाष सं० 011-23813761
श्री अरूण कुमार सिंह, सहा० नियंत्रक (वा०), केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी दूरभाष सं० 011-23810150

खंड 4 (1)(ब)(xvii) विहित की गई कुछ अन्य सूचनाएं :

हमारी वेबसाइट **www.deptpub.nic.in** पर प्रकाशन विभाग की सूचना पुस्तिका में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध है।

सुरक्षा संगठन :

प्रकाशन विभाग में विस्तृत विषय वस्तुओं का सुलभता से संचालन किया जाता है रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्रकाशनों की सामग्री का प्रकाशन तक वितरण वर्गीकृत है तथा किसी से भी शेयर नहीं किया जा सकता ।

वर्तमान एक्टों तथा नियमों इत्यादि में संशोधन : नियम तथा विनियमों में आवश्यकता को देखते हुए संशोधन किया जाता है ।